

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सफदरजंग अस्पताल में “चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी” के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर
सार्वजनिक
सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी.
14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सफदरजंग अस्पताल में “चिकित्सा समाज कल्याण
अधिकारी” के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक इच्छुक टिप्पणियाँ अथवा सुझाव देने के लिए¹
टिप्प/भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी
(एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई
दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ईमेल -
कर सकते हैं।

ग्र. सामंत
(जी.पी. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23061521

नई दिल्ली
दिनांक :

मा.का.नि. ...- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक कि उनका संबंध चिकित्सा समाज सेवक के पद से है, उन वातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य वातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता: वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
- उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञा है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और मंघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई वात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व मैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	बेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अन्वयन पद	मीधी भर्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-मीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विकिना ममाज कल्याण अधिकारी	8* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय मेवा, (35400-112400 राये)	बेतन मैट्रिक्स में मनर-6 (केन्द्रीय मरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुमार अनुनामिती	नागृ नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय मरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुमार मरकारी मेवकों के लिए पाँच वर्ष तक छिपिल की जा सकती है।

मीधी भर्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहेताएं	मीधी भर्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहेताएं गोनत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परीक्षा यदि कोई हो	भर्ति की पद्धति, मीधी भर्ति द्वारा या गोनति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ति जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
आवश्यक:			
(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मंस्थान में ममाज विज्ञान या ममाज कार्य या विज्ञान में स्नातक डिग्री।	(7)	(8)	(9)
(ख) चिकित्सा ममाज कार्य में दो वर्षों का अनुभव।		लागू नहीं होता।	(10)
वांछनीय:		दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर मीधी भर्ति द्वारा।
(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मंस्थान में चिकित्सा ममाज कार्य में विशेषज्ञता के साथ ममाज विज्ञान या ममाज कार्य में स्नातकोनर डिग्री; या (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मंस्थान में ममाज कार्य में दो वर्ष का डिप्लोमा			

प्रोलति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे
प्रोलति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

यदि विभागीय प्रोलति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

<p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केन्द्रीय सरकार के एम्स अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काइर या विभाग में नियमित आधार पर मदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काइर या विभाग में बेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये) या ममतुल्य पर उम श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् के पद पर छह वर्ष की नियमित मेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काइर या विभाग में बेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये) या ममतुल्य पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की नियमित मेवा की हो;</p> <p>(व) जो स्नामं (7) के अधीन मीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित शेषीक अहतांग और अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के उमी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काइर-वाहा पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साथारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-मीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोलति समिति है, तो उसकी संरचना</p> <p>(11)</p> <p>विभागीय पुष्टि ममिन (पुष्टि पर विचार करने के लिए) नियमित में मिल कर बनेगी:</p> <p>(12)</p> <p>विभागीय पुष्टि ममिन (पुष्टि पर विचार करने के लिए) नियमित में मिल कर बनेगी:</p> <p>(13)</p>
	<p>लागू नहीं होता।</p> <p>1. आप चिकित्सा अधीधक, माफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष, 2. चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी, उपनिदेशक प्रशासन म्वास्थ्य मेवा - मदम्य, 3. चिकित्सा अस्पताल अनुभाग अस्पताल महानिदेशालय - मदम्य, 4. उपनिदेशक (प्रशासन), माफदरजंग अस्पताल - मदम्य।</p>